न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2022-117(GCMS2022-305)

राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार बाप
जिला फलोदी

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. हनुमानराम पुत्र श्री जोराराम
2. रामकिशन पुत्र श्री जोराराम
3. जोराराम पुत्र श्री चैनाराम
4. किशनी पुत्री श्री जोराराम
5. शांति पुत्री श्री जोराराम
6. तीजों पुत्री श्री जोराराम
7. बिदामी पुत्री श्री जोराराम

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम खिदरत, तहसील बाप, जिला जोधपुर, वर्तमान फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 14 अक्टूबर 2021 राजस्व वाद संख्या 36/2021 अनवान हनुमानराम व अन्य बनाम जोराराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नाई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2 से 7

नि र्ण य

दिनांक : 15 जनवरी 2025

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/2021 अनवान हनुमानराम व अन्य बनाम जोराराम आदि में पारित निर्णय एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी दिनांक 14 अक्टूबर 2021 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 15 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो ने आराजी खसरा संख्या 73/3 रकबा 27.09 बीघा, खसरा नं. 84/5 रकबा 25.13 बीघा, खसरा नं. 84/16 रकबा 04.05 बीघा ग्राम करणीनगर, खसरा नं. 90/11 रकबा 22.07 बीघा, खसरा नं. 200/1 रकबा 02.01 बीघा, खसरा नं. 390/1 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं. 659/4 रकबा 19.10 बीघा एवं खसरा नं. 662/4 रकबा 05.03 बीघा ग्राम खिदरत तथा खसरा नं. 2/2 रकबा 57.05 बीघा ग्राम कानसिंह सिंह की सिड तहसील बाप के संबंध में प्रस्तुत किया जो राजीनामा के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 14 अक्टूबर 2021 को स्वीकार करते हुए वादीगण को प्रतिवादी-रेस्पो. के साथ वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार घोषित कर दिया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अपीलाण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने तथ्य प्रकट करते हुए अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराया और जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा मात्र कयासी आधारों पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है। वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय में कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी भूमि तथा वर्तमान में त्रुटिवश प्रतिवादी संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एक के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसलिए वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जावे। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक की शुरू से हीं राज्य सरकार को राजस्व हानि कारित करने की मंशा रही है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर नियमुनसार सम्मन की तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के कारण राज्य सरकार को रुपये 94927/- रुपये की स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की हानि हुई है। ऐसे मामलो में भूमिधारी राज्य सकरार से जबाब मय वादग्रस्त भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर की रिपोर्ट प्राप्त किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए मामले का निस्तारण किया जाना चाहिये था, मगर विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया और प्रतिवादी-अपीलाण्ट अर्थात भूमिधारी राज्य सरकार पर सम्मनों की समुचित तामील तक नहीं करवायी गयी। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 81 of 2011 S. Kuldeep Singh and Another Vs. S. Prithpal Singh के मामले में पारित निर्णय दिनांक 02 अगस्त 2022, Civil Appeal No. 5167 of 2010 Khushi Ram & Ors Vs. Nawal Singh & Ors. के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22 फरवरी 2021] Spl. Leave Petn. (C) No. 17474 of 1995 Bhoop Sing Vs. Ram Singh Major and other के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11 सितम्बर 1995] S.B. Civil Secon Appeal No. 91 of 2012 Shyam Sunder Vs. Prakash Chand के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27 जून 2012 तथा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्रावधानों की ओर न्यायालय का ध्यान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आकर्षित किया और निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है तथा वर्तमान में रेस्पोडेंट्स संख्या तीन के नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि होने से रेस्पो. संख्या तीन के सभी वारिसान् का उक्त भूमि में जन्म से ही हक-हकूक होने के कारण विचारण न्यायालय में दावा पेश किया गया, जो पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर दिनांक 14 अक्टूबर 2021 को विधिसम्मत रुप से स्वीकार किया गया। अतः अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्यद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत वाद में मूल अनुतोष रेस्पो.-प्रतिवादी संख्या एक के खिलाफ चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद में पक्षकारान के मध्य राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 14 अक्टूबर 2021 पारित किये गये। अधिवक्ता-अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत तथ्यों, न्यायिक दृष्टान्तों एवं विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकट होता है कि **जहॉ मामले में राजीनामा के आधार पर जारी डिकी के जरिये किसी पक्षकार को प्रथम बार किसी** 100 **रुपये से**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति में कोई अधिकार, स्वत्व अथवा हित अर्जित होते है तो ऐसी स्थिति में पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के प्रावधानों अनुसार पंजीयन अनिवार्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा इन विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में रेस्पोडेंट्स से स्टॉम्प ड्यूटी राजकोष में जमा करवाने जाने के आदेश पारित न कर राज पक्ष को राजस्व हानि पहुचाया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा की विनम्र राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 14 अक्टूबर 2021 समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/2021 अनवान हनुमानराम व अन्य बनाम जोराराम आदि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 14 अक्टूबर 2021 अपास्त जाकर विचारण न्यायालय को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए रेस्पोडेंट्स से नियमानुसार प्रचलित पंजीयन शुल्क राजकोष में जमा करवाये जाने करवाये जाने के आदेश का आदेश पारित कर वाद का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर